उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या–01/2021

जागो साव उर्फ जागेश्वर साव

–बनाम–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 20/07/23	प्रस्तुत अपील वाद जी0एफ0 केस न0 250/17 से संबंधित राज्यसात वाद संख्या–36/2017 मामले में न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 29.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। राज्यसात वाद संख्या–36/2017 में दिनांक 29.07.2020 को पारित आदेश के अनुसार दिनांक 21.05.2017 को पूर्वाहन करीब 9:00 बजे बड़कांगॉव प्रक्षेत्र के वनकर्मियों द्वारा पोटंगा अधिसूचित वन में गस्ती करते समय अपराधियों को पोटंगा वन से अवैध तरीके से पत्थर बोल्डर का उत्खनन कर ट्रैक्टर पर लोड कर लाते देखा गया। घटना स्थल पर पहुंचते ही अपराधी ट्रैक्टर छोड़ कर भाग गये, तत्पश्चात घटना स्थल से महिन्द्रा ट्रैक्टर संख्या JH08D-3733 ईंजन नं0–006505439 एवं उसके डाला पर लदे पत्थर को भारतीय वन अधिनियम 1927 (संशोधन 1989) की धारा, 33, 41 एवं 42 के जुर्म में इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जप्त कर उरीमारी ओ0पी0 थाना में सुरक्षित रखा गया तथा वन वाद दर्ज किया गया जिसका जी0एफ0 न0 250/2017 है। वन परिसर पदाधिकारी द्वारा घटना की जांच के क्रम में प्रतिवेदित किया गया कि घटना स्थल अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या 1649 में पड़ता है। पोटंगा वन सरकार द्वारा अधिसूचित वन है, जिसका अधिसूचना संख्या– C/P.F.-10166/52-10R Dated 02.01.1953 है। अपीलार्थी जागो साव उर्फ जागेश्वर साव द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता से माध्यम से उपरोक्त राज्यसात वाद में जप्त ट्रैक्टर की विमुक्ति हेतु अपील आवेदन दायर करते हुए अपना पक्ष रखा गया जो निम्नवत है:–	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(1) अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि जप्त ट्रैक्टर वाहन मालिक की उपस्थित में जप्त नहीं हुआ है, और इस वन अपराध में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।

(2) जप्त ट्रैक्टर का उपयोग उरीमारी प्रोजेक्ट द्वारा जंगल जमीन के घेराव के लिए किया जा रहा था।

(3) अपीलार्थी के आय का एक मात्र साधन ट्रैक्टर ही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए ट्रैक्टर को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के आदेश, अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि:–

(i) ट्रैक्टर पर लोड पत्थर अधिसूचित वन क्षेत्र से उत्खनन किया गया है। इस संबंध में भारतीय वन अधिनियिम 1927 की धारा–2 के तहत वन पदार्थ को परिभाषित किया गया है। जप्त पत्थर पोटंगा अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या 1649 से उत्खनन किया गया है। यह प्लॉट अधिसूचित वन भूमि है जिसका अधिसूचना संख्या C/P.F.-10166/52-10R Dated 02.01.1953 है। अतः जप्त पत्थर वन पदार्थ की श्रेणी में आता है।उक्त अधिसूचित वन में पत्थर का उल्खनन करना भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधित 1989 की धारा–33(बी) एवं 41 के तहत संज्ञेय एवं धारा 30 के तहत वर्जित है।

(ii) घटना के समय अपराधी गस्ती दल को देखकर ट्रैक्टर को छोडकर भाग गये। उनके द्वारा ट्रैक्टर पर लदे पत्थर की खरीद किये जाने संबंधी कोई चालान आदि कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही घटना के बाद ही पत्थर से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध कराई गई।

(iii)वन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र से पत्थर उत्खनन कर जप्त वाहन से परिवहन कर भारतीय वन अधिनियम 1927 (संशोधन 1989)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

की धारा 33(बी) 41, एवं 42 का उल्लंघन किया गया है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है साथ ही अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विवेचना उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का कोई भी औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करने में अपीलार्थी असफल रहे। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अपीलार्थी तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

10/7/13

उपायुक्त, हजारीबाग।

10/7/13

उपायुक्त, हजारीबाग।

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:22:58 +05:30
Location: 192.168.1.3